

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) वाड्डफनगर,

जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0)

प्ररूप-ड. नियम 7(2) के तहत अनुमति

क्रमांक 1079 / वाचक / अ0वि0अ0 / 2025
प्रति,

वाड्डफनगर, 3.9 / 04 / 2025

श्री इन्द्रजीत दुबे आ0 दिनेश दुबे
जाति ब्राम्हण वर्ग सामान्य
नगर पंचायत वाड्डफनगर, तहसील वाड्डफनगर
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

विषय:- प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष कटाई हेतु अनुमति।

—:00:—

विषयांतर्गत आपके द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 17 दिसम्बर 2024 पर राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्रमांक	प्रजाति	छाती की गोलाई	खसरा नंबर
1	साल (इमारती)	1.95 मी0	19/1
2	साल (इमारती)	2.00 मी0	19/1
3	साल (इमारती)	2.05 मी0	19/1
4	साल (इमारती)	1.60 मी0	19/1
5	साल (इमारती)	2.05 मी0	19/1
6	साल (इमारती)	1.80 मी0	19/1

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि खसरा नंबर 19/1 रकबा 0.61 हेक्ट. ग्राम भगवानपुर तहसील वाड्डफनगर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति साल (इमारती) सरल क्रमांक 01 से 06 वृक्षों को काटे जाने पर संहिता के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः उक्त 06 वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का अधिसूचना दिनांक 24 नवम्बर 2022 के नियम 04 के अनुसार छ0ग0 वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का सं. 16) के अंतर्गत निर्मित छ0ग0 अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 के प्रावधानों के अधधीन रहते हुए, भूमि स्वामी वृक्षों की कटाई कर सकेगा। सक्षम अनुज्ञा की प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर, वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक अभिवहन सुनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमि स्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी।

जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 05 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्ष किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित



किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से कलेक्टर को दी जायेगी।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य होगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

वाङ्गफनगर

जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज

वाङ्गफनगर 30/03/2025

पृ0क्रमांक/1080/वाचक/अ0वि0अ0/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बलरामपुर-रामानुजगंज की ओर सादर सूचनार्थ।
3. वनपरिक्षेत्राधिकारी, वनपरिक्षेत्र वाङ्गफनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

वाङ्गफनगर

जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज

